अंचल कार्यालय फतेहपुर

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
	राजस्व विविध वाद सं0 – 04/22–23	
10/02/2023	अभिलेख उपस्थापित। उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक 170, दिनांक 27.01.2023 तथा मौजा– सिमलबाड़ी के 16/– आना रैयत के द्वारा समर्पित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। प्राप्त पत्र के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक के माध्यम से मांग करें। अभिलेख दिनांक 14.02.2023 को उपस्थापित करें। लेखापित। अंचल अधिकारी 10/02/23 फतेहपुर 10/02/2023 अंचल अधिकारी फतेहपुर	
14/02/23	अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का स्थलीय जॉच प्रतिवेदन प्राप्त है। राजस्व उपनिरीक्षक अपने जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– सिमलबाड़ी के दाग सं0–108 पर अवस्थित तालाब का स्थानीय 16/– आना रैयत के द्वारा मछली पालन करने हेतु बन्दोवस्ती करना चाहते थे, परन्तु श्री अजित महतो पिता– लाली महतो सा0 सिमलबाड़ी द्वारा उक्त जलकर का बन्दोवस्ती हासिल कर लिया, जिस पर ग्रामीणों के द्वारा आपत्ति की गयी है। मौजा– सिमलबाड़ी के दाग सं0–108 के बन्दोबस्तीकर्ता का नाम, बन्दोवस्ती की अवधि, बन्दोवस्ती की राशि एवं बन्दोवस्ती के समय उपस्थित अन्य डाकवक्ताओं का अभिलेख की छाया प्रति तथा श्री अजित महतो पिता– लाली महतो, सा0 सिमलबाड़ी के विरूद्ध शिकायत आवेदन पत्र में नोटिस निर्गत कर लिखित जवाब की मांग करें। अभिलेख दिनांक 05.04.2023 को उपस्थापित करें। लेखापित। अंचल अधिकारी 14/02/23 फतेहपुर 14/02/23 अंचल अधिकारी फतेहपुर	

05/04/23

अभिलेख उपस्थापित।

इस कार्यालय के पत्रांक– 185/रा0, दिनांक 13.02.2023 द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा तथा नोटिश ज्ञापांक–146/रा0, दिनांक 20.03.2023 के द्वारा अजित महतो को नोटिश निर्गत किया गया।

मौजा– सिमलबाड़ी के दाग सं0 108 कुल–0.40 एकड़ पर तालाब अवस्थित है एवं तालाब के डाक बन्दोवस्ती एवे मछली पालन से संबंधित है। 16/– आना रैयत द्वारा किया गया शिकयत के आलोक में जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा से बन्दोवस्ती से संबंधित कागजात की मांग किया गया। जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा पत्रांक 175 दिनांक 14.02.2023 द्वारा कागजात उपलब्ध कराया गया। उक्त तालाब की बनदोवस्ती खुली डाक द्वारा अल्पकालीन बन्दोवस्ती सूचना ज्ञापांक–08 /मस्त्य जामताड़ा दिनांक 06.01.2023 को निर्धारित किया गया। बन्दोवस्ती अवधि वर्ष 2022–23, 2023–24, 2024–25 तक तीन वर्षो के लिए एवं वार्षिक सुरक्षित जमा राशि 2100/– रू0 निर्धारित किया गया। निर्धारित तिथि 18.01.2023 को जिला मत्स्य कार्यालय, जामताड़ा में बन्दोवस्ती हेतु डाक में डाकवक्ता (1) जनार्दन महतो, ग्राम– सिमलबाड़ी (2) अजीत महतो ग्राम– सिमलबाड़ी (3) रंजीत महतो, ग्राम–सिमलबाड़ी द्वारा भाग लिया गया एवं उच्चतम डाकवक्ता अजीत महतो पिता– लाली महतो, ग्राम सिमलबाड़ी द्वारा कुल– 15200/– (पन्द्रह हजार दो सौ) रूपये में तालाब की बन्दोवस्ती प्राप्त किया गया।

स्थलीय जॉच में बन्दोवस्तीकर्ता अजीत महतो द्वारा सचिव, प्रखण्ड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि0 जोलाई, फतेहपुर द्वारा निर्गत चालान वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 की प्रति समर्पित किया गया। वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 तक तीन वर्षो का जिला मत्स्य पदाधिकारी, जामताड़ा द्वारा प्रदत्त बन्दोवस्ती पट्टा का एकरारनामा कागजात उपलब्ध कराया गया।उक्त तालाब का उपयोग स्थानीय ग्रामवासी द्वारा किया जाता है एवं किसी तरह की आपत्ति नहीं किया जाता है। तत्संबधित प्रतिवेदन उपायुक्त महोदय, जामताड़ा को इस कार्यालय के पत्रांक 395/रा0, दिनांक 03.04.2023 द्वारा समर्पित किया गया है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

05/04/2023
अंचल अधिकारी
फतेहपुर

05/04/23
अंचल अधिकारी
फतेहपुर

Digitally signed by PANKAJ KUMAR
Date: 2023.05.10 13:40:36 +05:30
Location: 192.168.43.82